

8

कर बीजक; डेबिट और क्रेडिट नोट; ई-वे बिल


[TAX INVOICE; CREDIT AND DEBIT NOTES;
E-WAY BILL]

सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)

यह अध्याय आपको इससे सक्षम करेगा :

- ❑ माल की कर योग्य आपूर्ति के मामले में और सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति के मामले में कर बीजक से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन और विश्लेषण-समय-सीमा और उसी को जारी करने का तरीका।
- ❑ कर बीजक के विवरणों की गणना करें।
- ❑ संशोधित कर बीजक, आपूर्ति का बिल, रसीद वाउचर, वापसी वाउचर, भुगतान वाउचर आदि से सम्बन्धित प्रावधानों की व्याख्या करें।
- ❑ उन मामलों की पहचान करें जहां कोई कर बीजक जारी करने की आवश्यकता नहीं है और कर योग्य सेवा के आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करें जिन्हें कर बीजक के अलावा कोई भी दस्तावेज जारी करने की अनुमति है।
- ❑ बीजक पर जारी किए बिना माल के परिवहन से सम्बन्धित प्रावधानों की व्याख्या करें।
- ❑ ई-वे बिल के प्रावधान की व्याख्या करें।
- ❑ क्रेडिट और डेबिट नोट जारी करने से सम्बन्धित प्रावधान का वर्णन करें।
- ❑ कर के अनधिकृत संग्रह पर रोक से सम्बन्धित प्रावधानों को समझाइए।
- ❑ कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में संकेत किए जाने वाले कर की राशि से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन करें।

अध्याय अवलोकन



1. परिचय (Introduction)

एक बीजक एक वाणिज्यिक उपकरण है जो किसी प्राप्तकर्ता को माल/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया जाता है। यह शामिल दोनों पक्षों की पहचान करता है, और सूचीबद्ध करता है,



बेची गई वस्तुओं/सेवाओं का वर्णन करता है, बेची गई वस्तुओं की मात्रा निर्धारित करता है, नौवहन की तरीख और परिवहन की प्रणाली, कीमतों और छूट, यदि कोई हो, और वितरण और भुगतान की शर्तों (माल की आपूर्ति के मामले में दिखाता है।)

किसी भी अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के तहत कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीजक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक कर योग्य लेनदेन के लिए बीजक जारी करना एक पूर्व आवश्यकता है। माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के मामले में, इस तरह के सामान या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा एक बीजक उठाया जाता है। कर बीजक एक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। जो सामान या सेवाओं के मूल्य के भुगतान या दोनों में समान रूप के कर भाग का प्रमाण देता है। कुछ मामलों में, एक बीजक भुगतान की मांग के रूप में कार्य करता है और पूर्ण में भुगतान किए जाने पर शीर्षक का एक दस्तावेज बन जाता है।



जीएसटी शासन के तहत, "बीजक" या "कर बीजक" का मतलब CGST अधिनियम, 2017 की धारा 31 में उल्लिखित कर बीजक से है। यह खण्ड एक बीजक जारी करने या माल की हर आपूर्ति या सेवाएं के लिए आपूर्ति का बिल अनिवार्य है।

जीएसटी के तहत, एक कर बीजक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह न केवल वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का सबूत देता है, बल्कि प्राप्तकर्ता को निवेश कर क्रेडिट (ITC) प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज भी है। एक पंजीकृत व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है जब तक कि वह कर बीजक या डेबिट नोट के आधिपत्य में न हो।

कर बीजक, डेबिट तथा क्रेडिट नोट से संबंधित प्रावधान VI-कर बीजक, क्रेडिट तथा डेबिट नोट (धारा 31 से 34) में CGST अधिनियम और अध्याय VI के शामिल हैं : कर बीजक क्रेडिट तथा डेबिट नोट (नियम 46 से 55A) केन्द्रीय वस्तुओं और सेवाओं (CGST) के नियमों, 2017 आगे इस अध्याय में चर्चा की गई ई-वे बिल प्रावधान CGST नियमों के 138, 138A, 138B, 138C और 138D। (अध्याय XVI) नियमों की धारा 68 में पढ़े गए हैं, 2017 राज्य GST कानून भी कर बीजक के सम्बन्ध में प्रावधानों को निर्धारित करते हैं क्रेडिट तथा डेबिट नोट; ई-वे बिल।

कर बीजक की प्रगति, क्रेडिट तथा डेबिट नोट, CGST अधिनियम के अन्तर्गत ई-वे बिल भी IGST अधिनियम की धारा 20 के तहत IGST अधिनियम के लिए भी लागू किया गया है।

टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट, ई-वे बिल के प्रावधानों को समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले, आइए हम पहले कुछ प्रासंगिक परिभाषाओं पर ध्यान दें।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)



- **क्रेडिट नोट** : से तात्पर्य धारा 34 [धारा 2 (37)] के उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है।
- **डेबिट नोट** : से तात्पर्य धारा 34 [धारा 2 (38)] के उप-धारा (3) के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किये गया एक दस्तावेज है।
- **माल की निरंतर आपूर्ति** : का मतलब है [धारा 2 (32)] :

माल की एक आपूर्ति जो प्रदान की जाती है, या प्रदान करने के लिए सहमत है, लगातार या आवर्तक आधार पर

एक अनुबंध के अन्तर्गत


तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नाली के माध्यम से और नहीं, और
जिसके लिए आपूर्तिकर्ता नियमित या आवधिक आधार पर प्राप्तकर्ता का बीजक करता है और
ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है, जैसे कि सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकती है, जैसा कि अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है।

➤ **सेवाओं की निरंतर आपूर्ति** : का मतलब है [धारा 2 (33)] :

माल की एक आपूर्ति जो प्रदान की जाती है, या प्रदान करने के लिए सहमत है, लगातार या आवर्तक आधार पर
एक अनुबंध के अन्तर्गत
आवधिक भुगतान दायित्वों के साथ 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए तथा
ऐसी सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, जैसे कि सरकार ऐसी शर्तों के अधीन हो सकती है, जैसा कि अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

- **दस्तावेज** : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(41) के खण्ड (2) के खण्ड (t) में परिभाषित किसी भी प्रकार और इलेक्ट्रॉनिक आलेख का लिखित या मुद्रित आलेख शामिल है।
- **कर मुक्त आपूर्ति** : किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों जो कर की शून्य दर को आकर्षित करती है या जिसे धारा 11 के अन्तर्गत या अन्तर्राज्यीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत पूरी तरह से छूट दी जा सकती है और इसमें गैर-कर योग्य आपूर्ति शामिल है। [धारा 2(47)]।
- **बीजक या कर बीजक** : का अर्थ धारा 31 में उल्लिखित कर बीजक (धारा 2 (66))
- **तिमाही** : का अर्थ होगा एक लगातार तीन पंचांग महीनों की अवधि, जो मार्च के अन्तिम दिन, जून, सितम्बर और एक पंचांग वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होता है। [धारा 2 (92)]।
- **रिटर्न** : का अर्थ किसी भी निर्धारित या अन्यथा इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत (धारा 2 (97)) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. कर बीजक (धारा 31) [Tax Invoice (Section 31)]

 वैधानिक प्रावधान	
धारा 31	कर चालान
उप-धारा	विवरण
1.	कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति, समय या उससे पहले : (a) प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए माल हटाने, जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है; या

	<p>(b) किसी अन्य मामले में, प्राप्तकर्ता को माल की डिलीवरी या उसके लिए उपलब्ध कराना।</p> <p>विवरण, मात्रा और माल के मूल्य दिखाते हुए एक कर बीजक जारी करें, कर और उसके बाद निर्धारित किए गए अन्य विशेष विवरण;</p> <p>बशर्ते कि, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना के द्वारा, माल या श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में एक कर बीजक वापस लिया जाएगा, ऐसे समय में और इस तरह से विहित किया जा सकता है।</p>
(2)	<p>कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति करनेवाला एक पंजीकृत व्यक्ति सेवा के प्रावधान से पहले या बाद में, लेकिन एक निर्धारित अवधि के भीतर, कर बीजक जारी करेगा, जिसमें विवरण, मूल्य, कर प्रभारित शुल्क और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, दिखा रहा है :</p> <p>बशर्ते कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचनाओं के अधीन और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकती है, जिनके सम्बन्ध में सेवाओं की श्रेणियां निर्दिष्ट करें :</p> <p>(a) आपूर्ति के सम्बन्ध में जारी किये गये किसी भी अन्य दस्तावेज को कर बीजक माना जाएगा; या</p> <p>(b) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।</p>
(3)	<p>उप-धारा (1) और (2) में निहित कुछ के बावजूद :</p> <p>(a) एक पंजीकृत व्यक्ति, पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है। जारी करने की तारीख के प्रभावी पंजीकरण की तारीख से शुरू होने की अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के खिलाफ एक संशोधित बीजक जारी कर सकता है उसे पंजीकृत प्रमाण पत्र;</p> <p>(b) एक पंजीकृत व्यक्ति कर बीजक जारी नहीं कर सकता है यदि माल या सेवाओं का मूल्य या आपूर्ति की गई दोनों ऐसी शर्तों के अधीन दो सौ रुपये से कम है और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है;</p> <p>(c) एक पंजीकृत व्यक्ति, जो छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है या धारा 10 के प्रावधान के अन्तर्गत कर का भुगतान करता है, कर बीजक के बजाय, इस तरह के विशेष और इस तरह से निर्धारित किए गए, आपूर्ति के बिल जारी करेगा;</p> <p>बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति आपूर्ति का बिल जारी नहीं कर सकता है। यदि माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की कीमत ऐसी शर्तों के अधीन दो सौ रुपये से कम है और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है;</p> <p>(d) किसी पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करना, जिसमें विशेष रूप से निर्धारित किया गया हो, ऐसे भुगतान की रसीद प्राप्त करना;</p>

	<p>(e) जहाँ, किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने पर या दोनों पंजीकृत व्यक्ति एक रसीद वाउचर जारी करते हैं, लेकिन बाद में कोई आपूर्ति नहीं की जाती है और उसके बाद कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है;</p> <p>उक्त पंजीकृत व्यक्ति को जारी कर सकता है जिस व्यक्ति ने भुगतान किया था, ऐसे भुगतान के खिलाफ धन वापसी वाउचर</p> <p>(f) एक पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 9 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (4) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह सामान या सेवाओं के सम्बन्ध में एक बीजक जारी करेगा या आपूर्तिकर्ता द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख प्राप्त दोनों जो पंजीकृत नहीं है;</p> <p>(g) एक पंजीकृत व्यक्ति जो उप-धारा (3) या उप-धारा (4) धारा 9 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते के समय भुगतान वाउचर जारी करेगा।</p>
(4)	माल की निरंतर आपूर्ति के मामले में, जहाँ खातों के क्रमिक विवरणों या क्रमिक भुगतानों का चालान किया जाता है। बीजक इस तरह के एक बयान जारी होने से पहले या उस समय जारी किया जाएगा, या जैसा कि मामला हो, प्रत्येक ऐसे भुगतान प्राप्त होता है।
(5)	<p>सेवाओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में उप-धारा (3) के खण्ड (d) के प्रावधानों के अधीन :</p> <p>(a) जहाँ भुगतान की देय तिथि को अनुबंध से पता लगाने योग्य है, बीजक भुगतान की देय तिथि पर या उससे पहले जारी किया जाएगा;</p> <p>(b) जहाँ अनुबंध से भुगतान की देय तिथि का पता नहीं चल रहा है, बीजक उस समय या उससे पहले जारी किया जाएगा जब का आपूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है;</p> <p>(c) जहां भुगतान किसी घटना के पूरा होने से जुड़ा हुआ है, बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पहले जारी किया जाएगा।</p>
(6)	यदि आपूर्ति पूरी होने से पहले किसी अनुबंध के अन्तर्गत सेवाओं की आपूर्ति बंद हो जाती है, तो बीजक उसी समय जारी किया जाएगा। जब आपूर्ति बंद हो जाएगी और इस तरह के चालान को इस तरह के समाप्ति से पहले की गई आपूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा।
(7)	तथापि उपधारा (1) में कुछ भी होने के बावजूद, जहां माल भेजा जा रहा है या बिक्री के लिए मंजूरी पर भेजा जा रहा है या आपूर्ति से पहले हटा दिया जाता है, बीजक आपूर्ति से पहले या तारीख से छह महीने पहले जारी किया जाएगा। हटाने का, जो भी पहले हो।
<p>स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "कर बीजक" में आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किसी भी संशोधित बीजक को शामिल किया जाएगा, जो पहले आपूर्ति के सम्बन्ध में था।</p>	



विश्लेषण (Analysis)

कर बीजक से सम्बन्धित प्रावधान CGST अधिनियम की धारा 31 के साथ-साथ अध्याय VI के अन्तर्गत प्रदान किए गए हैं : कर बीजक क्रेडिट तथा डेबिट नोट केन्द्रीय वस्तुओं और सेवाओं कर (CGST) नियमों, 2017। इन नियमों में निहित प्रावधानों को शामिल किया गया है प्रासंगिक स्थानों पर।



कर बीजक के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। केवल कुछ क्षेत्रों को अनिवार्य क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बीजक हाथ से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीजक जारी करना अनिवार्य नहीं है।

A. कर योग्य वस्तुओं/कर योग्य सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी कर बीजक

कर योग्य वस्तुओं या कर योग्य सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर बीजक किया जाएगा। इस तरह का कर बीजक निर्धारित विवरण दिखाएगा।

(i) बीजक जारी करने की समय सीमा [धारा 31(1), (2), (4) तथा (5) को नियम 47 के साथ पढ़ें]

एक बीजक जारी करने की समय सीमा आपूर्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगी। चाहे वह वस्तुओं की आपूर्ति हो या सेवाओं की आपूर्ति।

कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति माल निकालने के समय या उससे पहले (जहां आपूर्ति माल की आवाजाही को शामिल करता है) या किसी अन्य मामले में, डिलीवरी से पहले या प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराए जाने के दौरान कर बीजक जारी करेगा।



सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उन वस्तुओं या आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में एक कर बीजक जारी किया जाएगा, ऐसे समय के भीतर और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।

कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, सेवाओं के प्रावधान से पहले या बाद में, लेकिन निर्दिष्ट अवधि के भीतर कर बीजक जारी किया जा सकता है। सरकार सेवाओं की उन श्रेणियों को अधिसूचित कर सकती है। जिनके आपूर्ति के सम्बन्ध में जारी कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक माना जाएगा या कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।



माल की कर योग्य आपूर्ति के मामले में	सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति के मामले में	
बीजक उस समय या उससे पहले जारी किया जाएगा :	बीजक सेवा के प्रावधान से पहले या बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन सेवा की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों* की अवधि के भीतर।	
(a) प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए माल को हटाने, जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है; या	*बीमाकर्ता या लेन-देन उद्योग या वित्तीय संस्थान के मामले में 45 दिन, जिसमें गैर लेन-देन वित्तीय कम्पनी (NBFC) शामिल है।	
(b) किसी अन्य मामले में माल का वितरण या प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराना।	<p>एक बीमाकर्ता या एक लेन-देन उद्योग या एक वित्तीय संस्थान, जिसमें NBFC या एक दूरसंचार चालक, या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का कोई अन्य वर्ग शामिल है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जिससे धारा 25 में विशिष्ट व्यक्तियों के बीच सेवा की कर योग्य आपूर्ति होती है।</p> <p style="text-align: center;">↓ बीजक जारी कर सकता है</p> <p>समय से पहले या इस तरह के आपूर्तिकर्ता खाते की पुस्तकों में या तिमाही की समाप्ति से पहले उसी समय रिकॉर्ड करते हैं, जिसके दौरान आपूर्ति की गई थी।</p>	
माल की निरन्तर आपूर्ति के मामले में	सेवाओं की निरन्तर आपूर्ति के मामले में	
जहाँ क्रमिक भुगतानों के खातों/क्रमिक विवरण शामिल हैं, बीजक इस तरह के प्रत्येक बयान जारी होने से पहले या प्रत्येक ऐसे भुगतान प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।	जहाँ	बीजक जारी किया जाएगा
	(a) भुगतान की देय तिथि अनुबंध से पता लगाने योग्य है।	भुगतान की नियत तारीख पर या उससे पहले
	(b) भुगतान की देय तिथि अनुबंध से पता लगाने योग्य नहीं है।	इससे पहले या उस समय जब सेवा के आपूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है।
	(c) भुगतान एक घटना के पूरा होने से जुड़ा हुआ है।	उस घटना के पूरा होने की तारीख पर या उससे पहले।



उदाहरण

रितु मैन्युफेक्चरर, दिल्ली प्रखर इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा को माल की आपूर्ति करता है। 23 सितम्बर को दिल्ली में अपने कारखाने से सामान को हटा दिया गया था। रितु मैन्युफेक्चरर को 23 सितम्बर को या उससे पहले कर बीजक जारी करना होगा।



उदाहरण

कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड शाही ज्वैलर्स को 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाली उनकी आभूषण प्रदर्शनी के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। कात्यायनी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड को सुरक्षा सेवाओं की आपूर्ति के 30 दिनों के भीतर, यानी 4 नवम्बर को या उससे पहले कर बीजक जारी करना होगा।

(ii) **जहाँ सेवाओं की आपूर्ति इसके पूरा होने से पहले बंद हो जाती है [धारा 31(6)]**

ऐसे मामले में जहाँ आपूर्ति पूरी होने से पहले सेवाओं की आपूर्ति एक अनुबंध के तहत बंद हो जाती है, बीजक उस समय जारी किया जाएगा जब आपूर्ति बंद हो जाती है और इस तरह के बीजक को इस तरह के समाप्ति से पहले की गई आपूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा।



(iii) **बिक्री या रिटर्न के आधार पर भेजा गया माल [धारा 31(7)]**

जहाँ आपूर्ति होने या वापस लौटने के लिए माल भेजा जा रहा है या आपूर्ति से पहले हटा दिया जाता है, बीजक जारी किया जाएगा :

(i) आपूर्ति के समय से पहले /

या

(ii) हटाने के तारीख से 6 महीने इनमें से जो भी पहले हो।



(iv) **कर बीजक के विवरण [धारा 31(1) तथा (2) नियम 46 के साथ पढ़ें]**

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, बीजक के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, लेकिन नियम यह अनिवार्य है बीजक के लिए निम्न क्षेत्र (केवल लागू क्षेत्र भरे जाने हैं) :

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता तथा GSTIN;	
एक सीरियल नंबर 16 वर्णों से अधिक नहीं है, एक या कई शृंखलाओं में, जिसमें अक्षर / अंक / विशेष वर्ण हाइफन या डैश और तिर्यक होते हैं, और किसी भी संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय है;	
इसके जारी करने की तिथि;	
यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है : प्राप्तकर्ता का नाम, पता तथा GSTIN या UIN;	
यदि प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है तथा आपूर्ति का मूल्य है	बीजक का विवरण
₹ 50,000 या अधिक	प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता और डिलीवरी का पता, राज्य और उसके कोड का नाम

₹ 50,000 से कम	अपंजीकृत प्राप्तकर्ता अभी भी पूर्वोक्त विवरण को कर बीजक में दर्ज करने का अनुरोध कर सकता है।
माल तथा सेवाओं के लिए एच.एस.एन. (HSN) कोड;	
माल तथा सेवाओं का विवरण;	
माल या इकाई या उसके अनूठे मात्रा कोड के मामले में मात्रा;	
माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का कुल मूल्य;	
माल तथा सेवाओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य या खाता छूट या कमी, यदि कोई हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए;	
कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर);	
कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर) के सम्बन्ध में प्रभारित कर की राशि;	
अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति के मामले में राज्य के नाम के साथ आपूर्ति की जगह;	
डिलीवरी का पता जहां आपूर्ति के स्थान से भिन्न है;	
या कर विपरीत मूल्य आधार पर देय है; तथा	
आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर हालांकि, आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बीजक जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।	

- (v) कर बीजक पर पंजीकृत HSN अंकों की संख्या और पंजीकृत व्यक्ति को HSN का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। [नियम 46]

बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकता है—

- (i) माल या सेवाओं के लिए, एच.एस.एन. कोड के अंकों की संख्या, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उल्लेख करने के लिए आवश्यक होगी, जैसे कि उक्त सूचनाओं में निर्दिष्ट किया जा सकता है।




- (ii) उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को एच.एस.एन. (HSN) कोड का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान आपूर्ति के बिल पर भी लागू होता है। [बाद के पैरा में आपूर्ति के बिल की अवधारणा पर चर्चा की गई है]।

इस सम्बन्ध में, अधिसूचना संख्या 12/2017 CT दिनांक 28.06.2017 ने निम्नलिखित को सूचित किया है :

क्रम संख्या	वर्षिक कारोबार (AT) प्रसंस्करण FY में	एच.एस.एन.कोड (HSN) में अंकों की संख्या
(1)	AT ≤ ₹ 1.5 crore	कुछ नहीं
(2)	₹ 5 crore ≥ AT > ₹ 1.5 crore	2
(3)	AT > ₹ 5 crore	4

(vi) चालान जारी करने का तरीका (धारा 31(1) तथा (2) को नियम 48 के साथ पढ़ें)

माल की कर योग्य आपूर्ति करने के मामले में	सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति के मामले में
बीजक को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा	बीजक को दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा



8.12

अप्रत्यक्ष कर

कर अवधि में जारी किये गये बीजकों की क्रम संख्या को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी [सामान्य पोर्टल के माध्यम से www.gst.gov.in FORM नंबर GSTR-1 में (माल या सेवाओं की बाह्य आपूर्ति का विवरण)।

- ★ उपर्युक्त चर्चा से मुख्य बिन्दुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है :
1. सभी जी. एस. टी. करदाता स्वयं कर बीजक प्रारूप तैयार करने के लिए स्वतन्त्र है।
 2. कानून की आवश्यकता है कि कर बीजक में अनिवार्य क्षेत्र के रूप में केवल कुछ क्षेत्र। उसी को शीर्षक (iv) के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है। अनिवार्य क्षेत्रों को भी निम्नलिखित नमूना कर बीजक में परिचालित किया गया है।
 3. माल और सेवाओं के लिए बीजक जारी करने की समयावधि अलग है। माल के लिए, उसकी डिलीवरी से पहले या सेवाओं के लिए किसी भी समय, यह सेवाओं की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर है।
 4. छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम रखने के लिए, करदाताओं के वार्षिक कारोबार के साथ ₹ 1.5 करोड़ के बीजक में माल के एच. एस. एन. कोड (HSN) का उल्लेख नहीं करना चाहिए है।

नमूना कर चालान

ABC Enterprises Pvt. Ltd.		Total ₹ 6500.00							
GSTIN	22AAAA0000A1Z5	Invoice Date	10/05/2017						
Branch	Karnataka (22)	Invoice No.	CLR-00054						
PAN	AAAAA0000A	Reference No.	PD-9987						
Customer Name Kantech Solutions Private Ltd.		Billing Address Kantech Solutions Private Ltd. Ground Floor, Building 2A, 23 & 24 AMR Tech Park Internal Road Hongsandra, Bengaluru Karnataka 560068							
Customer GSTIN 22BBB0007A1Z5		Shipping Address Kantech Solutions Private Ltd. Ground Floor, Building 2A, 23 & 24 AMR Tech Park Internal Road Hongsandra, Bengaluru Karnataka 560068							
Payment Terms	Net 15	Due Date	19/06/2016						
		Place of Supply	Karnataka (22)						
Item	HSN	Qty.	Rate/Item(₹)	Discount/Item(₹)	Taxable Value(₹)	SOST	CGST	CESS	Total
1. Himalaya Herbal Cream Neem Edition	440003	10 kg	1000.00	30.00	970.00	970.00 @10%	970.00 @10%	00.00 @0%	11640.00
2. Himalaya Herbal Cream Neem Edition	440003	10 kg	1000.00	30.00	970.00	970.00 @10%	970.00 @10%	00.00 @0%	11640.00
3. Himalaya Herbal Cream Neem Edition	440003	10 kg	1000.00	30.00	970.00	970.00 @10%	970.00 @10%	00.00 @0%	11640.00
4. Freight Charges	—	1 no	1000.00	—	1000.00	50.00 @5%	50.00 @5%	00.00 @0%	1100.00
Total (₹)					30100.00	2960.00	2960.00	00.00	36020.00
Taxable amount					₹ 30100.00				
Total Tax*					₹ 5920.00				
Invoice Total					₹ 36020.00				
Invoice Total (In words)					Thirty Six Thousand Twenty Only				
*Tax to be paid on Reverse Charge									
Notes All payments to be made in cash. Contact us for queries on these quotations.									
Thank you for your business.					Powered by @ clearTax				
ABC Enterprises Pvt. Ltd., Ground Floor, Building 2A, 23 & 24, AMR Tech Park Internal Road, Hongsandra, Bengaluru, Karnataka 560068 +91-9876543210, +91-9876543210, contact@abcenterprises.in									

B. मुख्य दशाएँ (Special Cases)

(i) संशोधित कर बीजक (धारा 31 (3) (a) को नियम 53 के साथ पढ़ते हुए)


कब जारी किया गया?

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पहले की तारीख से प्रभाव के साथ पंजीकरण प्रदान किया गया है, संशोधित कर बीजक जारी कर सकता है। इस तरह के बीजक उक्त अवधि के दौरान पहले से जारी किए गए बीजक के खिलाफ जारी किए जाएंगे।

धारा 31 के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति "कर बीजक" में आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किये गये किसी भी संशोधित बीजक को शामिल किया जाएगा जो पहले की गई आपूर्ति के सम्बन्ध में है (धारा 31 की व्याख्या)।

संशोधित कर बीजक पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 1 महीने के भीतर जारी किया जाएगा। ऐसे बीजक पर "संशोधित बीजक" शब्दों को प्रमुखता से इंगित किया जाएगा।

यह प्रावधान आवश्यक है, क्योंकि पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बनने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। जब इस तरह का आवेदन निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाता है और पंजीकरण की अनुमति दी जाती है, तो पंजीकरण की प्रभावी तारीख वह होती है, जिस दिन व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है।



इस प्रकार पंजीकरण के अनुदान की तारीख और पंजीकरण की प्रभावी तिथि के बीच एक समय अंतराल होगा। इस हस्तक्षेप अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति के लिए, कानून एक संशोधित बीजक जारी करने में सक्षम बनाता है, ताकि आईटीसी को इस तरह की आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता द्वारा लाभ उठाया जा सके।

इस अवधि के दौरान प्रभावी कर योग्य आपूर्ति के सम्बन्ध में जारी किए जाने वाले संशोधित कर बीजक



साराभाई प्राइवेट लि. ने दिल्ली में 1 अप्रैल को माल की आपूर्ति का व्यापार शुरू किया। इसका कारोबार 3 सितम्बर को लागू सीमा से अधिक हो गया। इस प्रकार, यह 3 सितंबर को पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया। इसने 29 सितम्बर को पंजीकरण के लिए आवेदन किया और इसे 5 अक्टूबर को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। चूँकि यह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, इसलिए दी गई पंजीकरण 3 सितम्बर से प्रभावी है। साराभाई प्राइवेट लि. 3 सितम्बर तथा 5 अक्टूबर के बीच कर योग्य आपूर्ति के सम्बन्ध में संशोधित कर बीजक जारी कर सकता है।

कुछ मामलों में समेकित संशोधित कर बीजक

एक पंजीकृत व्यक्ति ऐसी अवधि के दौरान अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को किए गए सभी कर योग्य आपूर्ति के सम्बन्ध में एक समेकित संशोधित कर बीजक जारी कर सकता है।



हालांकि, अन्तर राज्य आपूर्ति के मामले में, एक समेकित संशोधित कर बीजक सभी अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में जारी नहीं किया जा सकता है। यदि आपूर्ति का मूल्य ₹ 2,50,000 से अधिक हो।


संशोधित कर चालान का विवरण

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता तथा जी. एस. टी. आई. एन. (GSTIN)
एक सीरियल नंबर 16 वर्णों से अधिक नहीं है, एक कई शृंखलाओं में, जिनमें अक्षर/अंक/विशेष वर्ण हाइफन या डैश और स्लैश होते हैं और किसी भी संयोजन एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हैं।
इसके जारी करने की तारीख
यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है, प्राप्तकर्ता का नाम, पता तथा जी. एस. टी. आई. एन. या यू. आई. एन. (GSTIN or UIN)
प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता और डिलीवरी का पता, राज्य और उसके कोड का नाम, यदि ऐसा प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है।
क्रमांक संख्या और संबंधित कर बीजक की तिथि या, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति का बिल;
आपूर्तिकर्ता/ उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर

- (ii) कोई कर बीजक जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मूल्य < ₹ 200 एक समेकित कर बीजक जारी किया जा सकता है। (धारा 31 (3) (b) चौथे प्रावधान के साथ नियम 46 को पढ़ें)

एक पंजीकृत व्यक्ति कर बीजक जारी नहीं कर सकता है यदि :

- वस्तुओं/सेवाओं/दोनों की कीमत < ₹ 200,
- प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है; तथा



(iii) प्राप्तकर्ता को ऐसे बीजक की आवश्यकता नहीं होती है।

ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के बजाय ऐसी सभी आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन के करीब ऐसी आपूर्ति के लिए एक समेकित कर बीजक जारी करेगा।

इस प्रकार, छोटे करदाता, छोटे विक्रेताओं की तरह, अपंजीकृत ग्राहकों को प्रति लेन-देन ₹ 200 तक के लेन-देन के लिए बड़ी संख्या में छोटे लेन-देन करना, ऐसे हर लेन-देन के लिए बीजक जारी करने की आवश्यकता नहीं है। वे दिन के दौरान किए गए सभी लेन-देन के लिए प्रत्येक दिन के अन्त में एक समेकित बीजक जारी कर सकते हैं। किसी भी समय, ग्राहक की माँग होने पर उन्हें बीजक जारी करना होगा।

उपर्युक्त प्रावधान आपूर्ति के बिल पर भी लागू है।

उदाहरण (Illustration)

जैन एण्ड संस स्टेशनरी आइटम में सौदा करने वाले व्यापारी हैं। यह जी. एस. टी. (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और दिन के दौरान बिक्री की गयी है :

क्रम संख्या	आपूर्ति के प्राप्तकर्ता	मूल्य (₹)
1.	राघव ट्रेडर्स—एक पंजीकृत खुदरा दुकानदार	190
2.	ध्रुव उद्यम—एक अपंजीकृत व्यापारी	358
3.	गौरव—एक चित्रकार (अपंजीकृत)	500
4.	ओबरॉय अनाथालय—एक अपंजीकृत इकाई	188
5.	आराध्या—एक छात्र (अपंजीकृत)	158

प्राप्तकर्ता में से किसी को कर बीजक की आवश्यकता नहीं है। (राघव व्यापारियों को एक कृति विक्रेता।

उपर्युक्त में से कौन-सी आपूर्ति के सम्बन्ध में जैन एण्ड संस दिन के अन्त में कर बीजक के बजाय समेकित कर बीजक जारी कर सकते हैं?

हल (Solution)

दिये गये उदाहरण में, जैन एण्ड संस केवल ओबरॉय अनाथालय (मूल्य ₹ 188) तथा आराध्या (मूल्य ₹ 158) की आपूर्ति के सम्बन्ध में एक समेकित कर बीजक जारी कर सकते हैं। क्योंकि इन प्राप्तकर्ताओं को आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य ₹ 200 से कम है। इन प्राप्तकर्ताओं को भी अपंजीकृत किया जाता है और उन्हें कर बीजक की आवश्यकता नहीं होती है।


जैसा कि राघव ट्रेडर्स को दी गई आपूर्ति का सम्बन्ध है, हालांकि इसके लिए आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य ₹ 200 से कम है, राघव ट्रेडर्स को जी. एस. टी. (GST) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। इसलिए, समेकित कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता।

धुव इंटरप्राइजेज और गौरव के लिए बनाए गए सामानों की आपूर्ति के लिए समेकित कर बीजक भी जारी नहीं किया जा सकता है, हालांकि वे दोनों अपंजीकृत हैं। इसका कारण यह है कि आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य ₹ 200 से कम नहीं है।

(iii) **आपूर्ति विपत्र (धारा 31 (3) (c) को नियम 49 के साथ पढ़ें)**

धारा 31 (3)(c) में कहा गया है कि छूट प्राप्त वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति या कम्पोजीशन लेवी के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति या कर बीजक के बजाय आपूर्ति का बिल जारी करेगा। इन प्रावधानों को अधिसूचना संख्या के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर भी लागू किया गया है।¹ 2/2019 सीटी (आर) के शीर्ष पर निम्नलिखित शब्द होंगे— अधिसूचना संख्या 2/2019 सीटी (आर) दिनांक 7.03.2019।

कम्पोजीशन लेवी का चयन करने वाला व्यक्ति “जारी किए गए आपूर्ति के बिल के शीर्ष पर” कर योग्य व्यक्ति का उल्लेख करेगा, जो आपूर्ति पर कर जमा करने के योग्य नहीं होगा। इसी तरह, अधिसूचना संख्या के तहत रियायती दर पर कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति। 2/2019 सीटी (आर) के शीर्ष पर निम्नलिखित शब्द होंगे : अधिसूचना सं. 2/2019 सीटी (आर) दिनांक 07.03.2019 आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं।



आपूर्ति के बिल का विवरण (Particulars of Bill of Supply)

कम्पोजीशन लेवी के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति जो अधिसूचना संख्या 2/2019 के अन्तर्गत रियायती दर पर कर का भुगतान करता है। उसके द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता से कर एकत्र नहीं करता है। इसी तरह, छूट वाले समान और/या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति के मामले में, कोई कर निहितार्थ नहीं है। प्राप्तकर्ता को ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से कर बीजक की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे कर बीजक जारी नहीं कर सकते हैं।



चूंकि कम्पोजीशन लेवी के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता से कोई कर नहीं लिया जाता है, इसलिए, अधिसूचना संख्या 2/2019 के अन्तर्गत रियायती दर पर कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति और रियायती वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले

¹ vide Order No. 3/2019 CT dated 08.03.2019

एक पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए आपूर्ति के बिल में कर की दर और कर की राशि से सम्बन्धित विवरण शामिल नहीं है। इसके अलावा, आपूर्ति के बिल में उल्लिखित मूल्य भी कर योग्य मूल्य नहीं है।

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता तथा जी. एस. टी. आई. एन. (GSTIN);
एक क्रमानुसार 16 वर्णों से अधिक नहीं है, एक या कई श्रृंखलाओं में, जिनमें अक्षर/अंक/विशेष वर्ण हाइफन या डैश और तिर्यक होते हैं, और किसी भी संयोजन वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हैं;
इसके जारी करने की तिथि;
यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है: प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जी. एस. टी. आई. एन. या यू. आई. एन. (GSTIN or UIN);
माल या सेवाओं के लिए एच. एस. एन. कोड (HSN Code);
माल या सेवाओं का विवरण; अथवा दोनों
माल तथा सेवाओं की आपूर्ति का कर योग्य मूल्य या खाता छूट या कमी, यदि कोई हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए;
आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर
हालांकि, आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बीजक जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट : किसी भी गैर-कर योग्य आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए किसी भी कर बीजक या इसी तरह के किसी अन्य दस्तावेज को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आपूर्ति के बिल के रूप में माना जाएगा।



पटेल एण्ड सन्स माल का निर्माण करते हैं, जिन्होंने धारा 10 के अन्तर्गत कम्पोजीशन लेवी (Composition levy) का विकल्प चुना है। यह माल के खरीदारों को आपूर्ति का बिल जारी करेगा, न कि कर बीजक के बीजक।

आपूर्ति का बीजक सह-बिल (नियम 46 ए)

[Invoice-cum-bill of supply (Rule 46 A)]

जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति कर योग्य के साथ-साथ छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को अपंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति कर रहा है, ऐसी सभी आपूर्ति के लिए एक "आपूर्ति का बीजक सह बिल" जारी किया जा सकता है। CGST नियम के नियम 46 या नियम 49 में निहित नियम 46 ए।

(iv) प्राप्ति वाउचर (Receipt Voucher) (धारा 31 (3) (d) के नियम 50 के साथ पढ़ें)

किसी पंजीकृत व्यक्ति, को किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, इस तरह के भुगतान का प्राप्ति वाउचर रसीद जारी करें।



प्राप्ति वाउचर के विवरण


आपूर्तिकर्ता का नाम, पता तथा जी. एस. टी. आई. एन
एक क्रमानुसार 16 वर्णों से अधिक नहीं है, एक या कई शृंखलाओं में जिनमें अक्षर/अंक/विशेष वर्ण हाइफन या डैश या तिर्यक होते हैं, और किसी भी संयोजन एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हैं।
इसके जारी करने की तिथि;
यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है— प्राप्तकर्ता का नाम, पता तथा जी. एस. टी. आई. एन. या यू. आई. एन. (GSTIN or UIN);
माल या सेवाओं का विवरण;
अग्रिम की राशि;
कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर) के सम्बन्ध में प्रभारित कर की राशि;
अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति के मामले में राज्य के नाम के साथ आपूर्ति की जगह;
Place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
या कर विपरीत मूल्य आधार पर देय है; तथा
प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर;

जहां अग्रिम की प्राप्ति को समय कर की दर और/या आपूर्ति के प्रकार निर्धारित नहीं होती है।

जहां अग्रिम प्राप्ति के समय	
(i) कर की दर निर्धारित नहीं है	कर का भुगतान 18% की दर से किया जाएगा।
(ii) आपूर्ति की प्रकार निर्धारित नहीं होते हैं।	उसी को अन्तर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा।

(v) वापसी वाउचर (Refund Voucher) (धारा 31 (3) (e) को नियम 51 के साथ पढ़ें)

जहां, किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने पर या दोनों पंजीकृत व्यक्ति रसीद वाउचर जारी करते हैं लेकिन बाद में कोई आपूर्ति नहीं की जाती है और इसके बाद कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त पंजीकृत व्यक्ति जारी कर सकता है। जिस व्यक्ति ने भुगतान किया था, ऐसे भुगतान के खिलाफ धनवापसी वाउचर।



वापसी वाउचर का विवरण (Details of Refund Voucher)

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता तथा GSTIN;
एक क्रमानुसार 16 वर्णों से अधिक नहीं है, एक या कई शृंखलाओं में, जिनमें अक्षर/अंक/विशेष वर्ण हाइफन या डैश या तिर्यक होते हैं, और किसी भी संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हैं।
इसके जारी करने की तिथि;
यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है : प्राप्तकर्ता का नाम, पता तथा जी. एस. टी. आई. एन. या यू. आई. एन. (GSTIN or UIN);
रसीद वाउचर की संख्या और तिथि जारी की गई
माल/सेवाओं का विवरण जिसके संबंध में धन वापसी की जाती है।
धनवापसी की राशि
कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर);
कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर) के सम्बन्ध में प्रभारित कर की राशि;
या कर विपरीत मूल्य आधार पर देय है; तथा
आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर

(vi) बीजक और भुगतान वाउचर [धारा 31 (3) (f) तथा (G) के साथ नियम 46 तथा नियम 52 पर शासन करने के लिए दूसरे प्रावधान के साथ पढ़ें]

प्राप्तकर्ता विपरीत मूल्य आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जहां वह ऐसे सामान/सेवाओं/दोनों की आपूर्ति प्राप्त करता है जो विपरीत मूल्य उद्देश्यों के लिए अधिसूचित किए जाते हैं। इस तरह की आपूर्ति एक पंजीकृत या अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की जा सकती है [धारा 9 (3)]



इसके अतिरिक्त एक बिलडर/प्रमोटर को निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक में [धारा 9(4)] के अन्तर्गत विपरीत मूल्य के आधार पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है :

- (i) एक बिलडर/प्रमोटर को पंजीकृत व्यक्तियों से सेवा की आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट और इनपुट सेवाओं का 80% खरीदना होगा। कमी के मामले में, उसे ऐसी सभी आवक आपूर्ति (पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से अवाक आपूर्ति के 80% की सीमा तक कम) पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है।

- (ii) जहां एक अपंजीकृत व्यक्ति से सीमेंट प्राप्त होगा है, प्रमोटर/बिल्डर को विपरीत मूल्य के आधार पर ऐसे सीमेंट की आपूर्ति पर कर का भुगतान करना पड़ता है और
- (iii) प्रमोटर द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर पूंजीगत वस्तुओं पर जीएसटी देय है।

प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाने वाला बीजक यदि वह धारा 9(3)/(4) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त करता है।

एक पंजीकृत व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत (CGST अधिनियम की धारा 9(3)/ 9(4) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। माल या सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक जारी करेगा या आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त दोनों माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख पर पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार, धारा 9(3) के आधार पर कर का भुगतान करने के लिए एक प्राप्तकर्ता को केवल तभी बीजक जारी करना होगा जब आपूर्ति अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त हुई हो।

भुगतान वाउचर भुगतान करने के समय जारी किया जाएगा यदि वह धारा 9(3)(4) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अलावा, एक पंजीकृत व्यक्ति जो [सी. जी. एस. टी. (CGST) अधिनियम की धारा 9 (3)/9(4)] के अन्तर्गत रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के समय एक भुगतान वाउचर जारी करेगा।



भुगतान प्रमाण पत्र का विवरण

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता तथा जी. एस. टी. आई. एन.;
एक क्रमानुसार 16 वर्णों से अधिक नहीं है, एक या कई शृंखलाओं में, जिनमें अक्षर/अंक/विशेष वर्ण हाइफन या डैश और तिर्यक होते हैं, और किसी भी संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय हैं।
इसके जारी करने की तिथि;
प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जी. एस. टी. आई. एन. (GSTIN);
माल या सेवाओं का विवरण;
अग्रिम की राशि
कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर);
कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर) के सम्बन्ध में प्रभारित कर की राशि;
अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति के मामले में राज्य के नाम के साथ आपूर्ति की जगह;
आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर;

- (vii) आपूर्तिकर्ता को कर बीजक के अलावा किसी भी अन्य दस्तावेज को जारी करने की अनुमति दी जाती है (धारा 31 (2) तथा धारा 31 (1) के प्रावधानों को नियम 54 तथा 55 के साथ पढ़ते हुए)

सरकार, परिषद् के अनुरोध पर, अधिसूचना के अन्तर्गत और ऐसी शर्तों के अधीन, जिनका उल्लेख किया जा सकता है के सम्बन्ध में सेवाओं की श्रेणियों निर्दिष्ट करें :



- (a) आपूर्ति के संबंध में जारी किए गए किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक माना जाएगा; या
- (b) कर बीजक जारी नहीं किया जाता है।

आगे, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना के अनुसार, उन वस्तुओं या आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में एक कर बीजक जारी किया जाएगा, ऐसे समय के भीतर और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।

निम्नलिखित आपूर्तिकर्ताओं एक कर बीजक जारी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कर बीजक के बदले में कोई अन्य दस्तावेज जारी करने की अनुमति दी जाती है, जो भी नाम से :

कर योग्य सेवाओं के आपूर्तिकर्ता	कर बीजक के एवज में दस्तावेज	
	वैकल्पिक जानकारी	अनिवार्य जानकारी
एनबीएफसी सहित बीमा संगठन/लेन-देन संगठन/वित्तीय संस्थान	<ul style="list-style-type: none"> क्रम संख्या (किसी बैंक/बीमा संगठन के लिए अनिवार्य रूप से बीजक/दस्तावेज क्रमांकित करना अनिवार्य नहीं है) कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाले का पता 	अन्य जानकारी (क्रम संख्या और प्राप्तकर्ता के पते के अलावा) नियम 46 के अन्तर्गत कर बीजक के लिए निर्धारित हैं।
		एक ग्राहक एक निश्चित कर अवधि में बैंक/बीमाकर्ता से कई सेवाएं ले सकता है। इस तरह की इकाइयां एक समेकित कर बीजक/विवरण/सलाह जारी कर सकती हैं, इसके बदले में किसी भी अन्य दस्तावेज को, जो भी नाम से जारी किया जा सकता है/प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है/इलेक्ट्रॉनिक रूप से,

		<p>महीने के अंत में एक महीने के दौरान की गई सेवाओं की आपूर्ति के लिए।</p> <p>हालांकि, आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके एवज में किसी अन्य दस्तावेज को जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।</p>
माल परिवहन एजेंसी (जीएसटी) एक माल गाड़ी में सड़क द्वारा माल के परिवहन संबंध में सेवाओं की आपूर्ति करती है।		प्रेषित माल का सकल वजन
		प्रेषक तथा प्रेषिती का नाम
		माल गाड़ी की पंजीकरण संख्या जिसमें माल ले जाया जाता है।
		परिवहन किए गए सामान का विवरण
		उत्पत्ति और गंतव्य के स्थान का विवरण
		उस व्यक्ति का जीएसटी आईएन जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है चाहे वह प्रेषक और परेषिती या जीटीए हो
		नियम 46 के अन्तर्गत कर बीजक में निर्धारित अन्य जानकारी
यात्री परिवहन सेवाओं के आपूर्तिकर्ता	<ul style="list-style-type: none"> • क्रमांक संख्या • कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाले का पता 	<p>कर बीजक में टिकट को किसी भी रूप में शामिल किया जाएगा, जो भी नाम दिया जाएगा।</p> <p>अन्य जानकारी (क्रम संख्या और प्राप्तकर्ता के पते के अलावा) नियम 46 के तहत</p>

		<p>कर बीजक के लिए निर्धारित है।</p> <p>हालांकि, आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके एवज में किसी अन्य दस्तावेज को जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।</p>
--	--	--

यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में लेन-देन बैंकिंग, बीमा तथा यात्री परिवहन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, करदाताओं को अपने बीजक में ग्राहक के पते और सीरियल नंबर का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

वितरण चालान (Delivery Challan)


नियम 55 उन मामलों को निर्दिष्ट करता है जहाँ सामानों को हटाने के समय, माल को डिलीवरी बीजक पर हटाया जा सकता है और डिलीवरी के बाद बीजक जारी किया जा सकता है। ये निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

आपूर्ति की प्रकृति	वितरण बीजक जारी किया गया	वितरण बीजक का विवरण
(1) तरल गैस की आपूर्ति जहाँ आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय के स्थान से हटाने के समय मात्रा ज्ञात नहीं है,	<ul style="list-style-type: none"> क्रमानुसार संख्या 16 अक्षरों से अधिक नहीं एक या कई शृंखलाओं में 	<p>डिलीवरी बीजक की दिनांक तथा संख्या</p> <p>यदि पंजीकरण हो तो नाम, पता और प्रेषक का जीएसटीआईएन</p> <p>यदि पंजीकृत हो तो परेषित का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन</p>
2. नौकरी के काम के कार्य के लिए माल का परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> परिवहन के लिए निकालते समय 	एचएसएन कोड और माल का विवरण,
3. आपूर्ति के रास्ते के अलावा अन्य कारणों से माल का परिवहन, या		मत्रा (अनतिम, जहां आपूर्ति की जा रही सटीक मात्रा ज्ञात नहीं)
4. बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली ऐसी अन्य आपूर्ति		कर योग्य मूल्य

		कर की दर और राशि—केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केन्द्र शासित प्रदेश कर या उपकर, जहां परिवहन माल की आपूर्ति के लिए है।
		अंतर राज्य आन्दोलन के मामले में आपूर्ति का स्थान
		हस्ताक्षर

A. तीन प्रतियों में वितरण चालान

डिलीवरी बीजक निम्नलिखित तरीकों से, माल की आपूर्ति के मामले में, तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा :



B. ई-वे बिल में घोषणा

जहाँ माल बीजक की जगह वितरण बीजक पर परिवहन किया जा रहा है, वही ई-वे बिल में घोषित किया जाएगा।

C. माल की डिलीवरी के बाद जारी किया जाने वाला कर बीजक

जहाँ परिवहन किया जा रहा सामान प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के उद्देश्य से है, लेकिन आपूर्ति के उद्देश्य के लिए माल को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है, आपूर्तिकर्ता माल की डिलीवरी के बाद कर बीजक जारी करेगा।

D. माल एसकेडी/एसकेडी हालत में या गुट या ढेर में ले जाया गया

जब सामानों को अर्थ आघात या पूरी तरह से आघात की स्थिति में या गुट या ढेर में ले जाया जा रहा है :

- आपूर्तिकर्ता पहले प्रेषित माल भेजने से पहले पूरा बीजक जारी करेगा;
- आपूर्तिकर्ता सन्दर्भ में से प्रत्येक के लिए एक डिलीवरी बीजक जारी करेगा, जो बीजक का संदर्भ देता है।
- संबंधित वितरण बीजक की प्रतियाँ बीजक की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रत्येक प्रेषण माल के साथ होती हैं; तथा
- बीजक की मूल प्रति अन्तिम प्रेषण माल के साथ भेजी जाएगी।


अनुमोदन के आधार पर कलाकारों द्वारा प्रदर्शनी के लिए कलाकारों द्वारा भेजे गए कला कार्यों के लिए राज्य के भीतर या पंजीकरण की स्थिति से दूसरे राज्य में सामान ले जाया गया।

आभूषणों आदि के आपूर्तिकर्ता जो एक राज्य में पंजीकृत हैं उन्हें अन्य राज्यों (पंजीकृत के अपने राज्य के अलावा) का दौरा करना होगा और अनुमोदन के लिए माल (जैसे की आभूषण) ले जाने की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में यदि आभूषण आदि को खरीदार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता केवल आपूर्ति के समय कर बीजक जारी करता है। चूंकि आपूर्तिकर्ता पहले से अपनी वास्तविक आपूर्ति का पता लगाने में सक्षम नहीं है और जबकि अग्रिम में कर देयता का पता लगाने के लिए एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता है, आपूर्तिकर्ता एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है, इस तरह के सामान भी ले जाते हैं। आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए एक ही राज्य के भीतर।

नियम 55 के प्रासंगिक प्रावधानों के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया गया है कि जिन वस्तुओं को अनुमोदन के आधार पर आपूर्ति के लिए लिया गया है, उन्हें पंजीकृत आपूर्ति के व्यवसाय के स्थान से उसी राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी स्थान पर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जहाँ कहीं भी लागू हो ई-वे बिल के साथ एक डिलीवरी बीजक और माल की डिलीवरी के समय बीजक जारी किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, इस तरह की आपूर्ति के लिए सामान ले जाने वाला व्यक्ति बीजक पुस्तक को अपने साथ ले जा सकता है, ताकि आपूर्ति पूरी होने के बाद वह बीजक जारी कर सके (सर्कुलर नं 10/10/2017 जी एस टी तारीख 18/10/2017)।

इसी तरह, ऐसे मामले में जहाँ कलाकार विभिन्न राज्यों में कला कार्यों की आपूर्ति करते हैं। उस राज्य के अलावा जिसमें वे एक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत हैं और यदि कला का काम खरीदार द्वारा चुना जाता है, तो आपूर्तिकर्ता केवल आपूर्ति के समय एक कर बीजक जारी करता है, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुमोदन के आधार पर आपूर्ति के लिए कला का काम पंजीकृत व्यक्ति (कलाकार) के व्यवसाय के स्थान से उसी राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर या राज्य के बाहर किसी स्थान पर डिलीवरी बीजक के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है। जहाँ भी लागू हो और कला कार्य की वास्तविक आपूर्ति के समय बीजक जारी किया जा सकता है। [परिपत्र संख्या 22/22/2017 जी एस टी तारीख 21.12.2017]।

4. क्रेडिट तथा डेबिट नोट (धारा 34) (Credit & Debit notes) (Section 34)

 वैधानिक प्रावधान	
धारा 34	क्रेडिट तथा डेबिट नोट
उप-धारा	विवरण
1.	जहाँ किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं तथा उस कर बीजक में लगाए गए कर योग्य मूल्य या

	कर, ऐसी आपूर्ति के सम्बन्ध में कर योग्य मूल्य या कर देयता से अधिक हो, या जहाँ माल की आपूर्ति की गई हो प्राप्तकर्ता द्वारा लौटाए जाते हैं, या जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों आपूर्ति की कमी पाई जाती है, पंजीकृत व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को वित्तीय में की गई आपूर्ति के लिए एक या अधिक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है। इस तरह के विशेष विवरण वाले वर्ष निर्धारित किए जा सकते हैं।
2.	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में क्रेडिट नोट जारी करता है, या दोनों उस महीने के बदले में ऐसे क्रेडिट नोट का विवरण घोषित करेंगे, जिसके दौरान इस तरह के क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं, लेकिन बाद में सितम्बर के अंत से बाद में नहीं वित्तीय वर्ष जिसमें इस तरह की आपूर्ति की गई थी, या जो भी पहले हो, प्रासंगिक वार्षिक वापसी के प्रस्तुत करने की तारीख, और कर देयता को इस तरह से समायोजित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है : बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता की उत्पादन कर देयता में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, यदि ऐसी आपूर्ति पर कर और ब्याज की घटनाओं को किसी अन्य व्यक्ति पर पारित किया गया है।
3.	जहाँ किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं और उस कर बीजक में लगाए गए कर योग्य मूल्य या कर, ऐसी आपूर्ति के सम्बन्ध में कर योग्य मूल्य या कर योग्य देय से कम पाए जाते हैं, पंजीकृत व्यक्ति, जिन्होंने इस तरह की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को एक वित्तीय वर्ष में की गई आपूर्ति के लिए एक या एक से अधिक डेबिट नोट जारी करेंगे, जो कि विशेष रूप से निर्धारित किए गए हों।
4.	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में एक डेबिट नोट जारी करता है या दोनों उस महीने के बदले में ऐसे डेबिट नोट का विवरण घोषित करेंगे जिसके दौरान इस तरह का डेबिट नोट जारी किया गया है और कर देयता को इस तरह समायोजित किया जाएगा। तरीका निर्धारित किया जा सकता है।
	स्पष्टीकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "डेबिट नोट" में एक पूरक बीजक शामिल होगा।



विश्लेषण (Analysis)

- (i) **जमा पत्र का निर्गमन (Issuance of Credit Note)** : बीजक जारी होने के बाद व्यापार या वाणिज्य के दौरान, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं :
- ❑ आपूर्तिकर्ता ने गलती से एक मूल्य घोषित किया है जो प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के वास्तविक मूल्य से अधिक है।
 - ❑ आपूर्तिकर्ता ने गलती से माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए लागू की गई दर से अधिक कर की दर घोषित की है।

- ❑ प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि कर बीजक में घोषित की गई राशि से कम है।
- ❑ माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की गुणवत्ता प्राप्तकर्ता की संतुष्टि के लिए नहीं है जिससे बीजक मूल्य पर आंशिक या कुल प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होती है।
- ❑ इसी तरह के अन्य कारण।

इस प्रकार की स्थितियों को नियमित करने के लिए, आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता को क्रेडिट नोट के रूप में एक दस्तावेज जारी करने की अनुमति दी जाती है। एक बार जब क्रेडिट नोट जारी नहीं किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता की कर देयता कम हो जाएगी।

क्रेडिट नोट एक सुविधाजनक और कानूनी तरीका है। जिसके द्वारा मूल कर बीजक में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में संशोधन या परिशोधित किया जा सकता है। क्रेडिट नोट जारी करना आसानी से आपूर्तिकर्ता को उसके प्रतिगम में उसकी कर देयता को कम करने की अनुमति देता है वापसी की कोई थकाऊ प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता के बिना।

धार 34(1) प्रदान करता है कि जहां किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या एक से अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं और उस/उन कर बीजक (ओं) में लगाए गए कर योग्य मूल्य या कर, कर योग्य मूल्य या कर से अधिक पाए जाते हैं। ऐसी आपूर्ति के सम्बन्ध में देय, या जहां आपूर्ति की गई वस्तुएं प्राप्तकर्ता द्वारा वापस कर दी जाती हैं, या जहां वस्तुओं या सेवाओं या आपूर्ति गई दोनों वस्तुओं में कमी पाई जाती है, पंजीकृत व्यक्ति, जिसने इस तरह की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की है या दोनों को जारी कर सकते हैं, वित्तीय वर्ष में किए गए आपूर्ति के लिए एक या अधिक क्रेडिट नोट प्राप्त करने वाले निर्धारित विवरणों को प्राप्त करते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा कर की देयता को कम करने की अनुमति नहीं होने की स्थिति में क्रेडिट नोट को जारी करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता द्वारा छूट² दी जाती है। हालांकि, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को देय आपूर्ति के मूल्य को कम करने के लिए आपूर्तिकर्ता वित्तीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है। [परिपत्र 92/11/2019 जीएसटी दिनांक 07.03.2019]।

Secondary discounts

(ii) **डेबिट नोट जारी करना** : बीजक जारी होने के बाद ऐसी स्थितियां हो सकती हैं :

- ❑ आपूर्तिकर्ता ने गलती से एक मूल्य घोषित किया है जो माल या सेवाओं या प्रदान किए गए वास्तविक मूल्य से कम है।
- ❑ आपूर्तिकर्ता ने गलती से माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए लागू की गई दर से कम कर की दर घोषित की है।
- ❑ प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि कर बीजक में घोषित की गई राशि से अधिक है।
- ❑ इसी तरह के अन्य कारण।

² द्वितीयक छूट वह छूट है जो आपूर्ति के समय ज्ञात नहीं होती है/आपूर्ति के पहले ही समाप्त हो जाने के बाद दी जाती है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15(3) (B) में निर्धारित शर्तों से संतुष्ट नहीं होने के बाद से छूट आपूर्ति के मूल्य से बाहर नहीं हैं। संदर्भ अध्याय 5 समय और आपूर्ति का मूल्य उसी पर विस्तृत चर्चा के लिए।

इस प्रकार की स्थितियों को नियमित करने के लिए, आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता को डेबिट नोट के रूप में एक दस्तावेज जारी करने की अनुमति दी जाती है।

धारा 34 (3) में यह प्रावधान है कि जहां किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए एक या एक से अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं और उस कर बीजक में लगाए गए योग्य मूल्य या करके संबंध में कर योग्य मूल्य या कर देय से कम पाया जाता है। ऐसी आपूर्ति के लिए, पंजीकृत व्यक्ति, जिसने इस तरह की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, प्राप्तकर्ता को एक विशेष वर्ष में दिए गए आपूर्ति के लिए एक या अधिक डेबिट नोट जारी करेगा।

Debit note shall include a supplementary invoice.

डेबिट नोट/अनुपूरक बीजक जारी करने से अतिरिक्त कर देयता बनती है। डेबिट नोट/अनुपूरक बीजक का उपचार कर बीजक के उपचार के समान है। जहां तक प्रतिगम और भुगतान का संबंध है। द्वितीयक छूट वह छूट है जो आपूर्ति के समय ज्ञात नहीं होती है/आपूर्ति के पहले ही समाप्त हो जाने के बाद दी जाती है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15(3) (b) में निर्धारित शर्तों से संतुष्ट नहीं होने के बाद से ये छूट आपूर्ति के मूल्य से बाहर नहीं हैं। संदर्भ अध्याय 5 समय और आपूर्ति का मूल्य उसी पर विस्तृत चर्चा के लिए।

डेबिट नोट/अनुपूरक बीजक एक सुविधाजनक और कानूनी तरीका है। जिसके द्वारा मूल कर बीजक में माल और/या सेवाओं के मूल्य को उसके प्रतिगम में कर देयता में वृद्धि की जा सकती है, बिना किसी अन्य थकाऊ पूर्वाभास के।

(iii) रिटर्न में घोषित किए जाने वाले डेबिट /क्रेडिट नोट का विवरण

I. क्रेडिट नोट (Credit Note)

- कोई पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में क्रेडिट नोट जारी करता है या दोनों उस महीने के बदले में ऐसे क्रेडिट नोट का विवरण घोषित करेंगे जिसके दौरान ऐसा क्रेडिट नोट जारी किया गया है, लेकिन बाद में नहीं :

- वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितम्बर जिसमें ऐसी आपूर्ति की गई थी, या
- प्रासंगिक वार्षिक प्रतिगम प्रस्तुत करने की तिथि,



इनमें से जो भी पहले हो।

- कर दायित्व को इस तरह से समायोजित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, आपूर्तिकर्ता की उत्पादन कर देयता में कोई

कमी नहीं की जाएगी, अगर ऐसी आपूर्ति पर कर और ब्याज की घटनाओं को किसी अन्य व्यक्ति पर पारित किया गया है।

II. डेबिट नोट (Debit Note)

- कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में एक डेबिट नोट जारी करता है या दोनों उस महीने के बदले में ऐसे डेबिट नोट के विवरण की घोषण करेंगे जिसके दौरान ऐसा डेबिट नोट जारी किया गया है। कर दायित्व को इस तरह से समसायोजित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

III. डेबिट और क्रेडिट नोट के विवरण [नियम 53 (1A)]

- कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, लेकिन एक आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए ऋण और क्रेडिट नोट में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए, जैसे—

आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन
दस्तावेज के प्रकार
एक सीरियल नंबर 16 वर्णों से अधिक नहीं है, एक या कई शृंखलाओं में, जिनमें अक्षर/अंक/विशेष वर्ण हाइफन या डैश और तिर्यक होते हैं, और किसी भी संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय है;
दस्तावेज जारी करने की तारीख
यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत-प्राप्तकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन या यूआईएन
प्राप्तकर्ता का नाम और पता और डिलीवरी का पता, राज्य और उसके कोड का नाम, यदि ऐसा प्राप्तकर्ता अपंजीकृत है;
क्रमांक संख्या और संबंधित कर बीजक की तारीख या, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति का बिल;
माल या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, कर की दर और कर की राशि या , जैसा कि मामला हो, प्राप्तकर्ता को जमा किया जा सकता है।
आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर

5. कर के अनधिकृत संग्रह पर रोक (धारा 32) [Prohibition of Unauthorized Collection of Tax (Section 32)]

एक व्यक्ति जो एक पंजीकृत व्यक्ति नहीं है, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी आपूर्ति के सम्बन्ध में राशि एकत्र नहीं करेगा।

कोई भी पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों को छोड़कर कर जमा नहीं करेगा।